कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)छ.ग.

// विविध आदेश //

क्रमांक **क–1**/एक–5–1/85, अम्बिकापुर, दिनांक २१ **जनवरी, 2026**

मैं, **के0 एल0 चरयाणी**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर पूर्व में जारी किये गये कार्य विभाजन संबंधी आदेशों को अधिष्ठित करते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 8 (7), (8) और 214 एवं छ.ग. सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल जिला सरगुजा एवं सत्र खण्ड सरगुजा में पदस्थ न्यायाधीशों के मध्य निम्नानुसार कार्य–विभाजन करता हूँ जो **तत्काल प्रभाव से** प्रभावशील होगा।

स0क्र0	न्यायालय का नाम	भौगोलिक क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार जिसका निराकरण किया जाना हैं
01	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा और प्रधान मुख्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सरगुजा। **(के0 एल0 चरयाणी)**	**सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला सरगुजा**	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपील। (किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम से संबंधित को छोड़कर) 3. सभी आपराधिक पुनरीक्षण। (किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम से संबंधित को छोड़कर) 4. मुख्यालय में प्रस्तुत होने वाले **(अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, एन. डी.पी.एस.एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम/ विद्युत/ POCSO Act & Rape Cases को छोड़कर)** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 5. छ0ग0 शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 9742/3446/21–बी/2015, रायपुर दिनांक–09.10.2015 के द्वारा Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act. 2005, से संबंधित प्रकरण। 6. छ0ग0 शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक F.A.No. 460/134.21–बी/छ0ग0/2016, रायपुर दिनांक 12.01.2016 के द्वारा DRUGS AND COSMETICS ACT, से संबंधित प्रकरण। 7. छ0ग0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ–25–8/ 2011/नौ/55, रायपुर दिनांक 09 अक्टूबर 2017 के द्वारा **खाद्य सुरक्षा** अपीलीय अधिकरण से संबंधित प्रकरण। 8. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक 10305/तीन–6–4/2018 (Checker) बिलासपुर दिनांक 29.10.2018 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक/2991/21–बी/18, रायपुर दिनांक 09.10.2018 के द्वारा दिव्यांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम 2016 से संबंधित प्रकरण। 9. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के पृष्ठांकन कमांक–18480/तीन–6–4/2023/चेकर, बिलासपुर दिनांक– 14 नवम्बर 2024 के

			साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक–4072/3861/सी.जी./2024, नवा रायपुर दिनांक–13 नवम्बर 2024 के आदेशानुसार Mines and Minerals (Development and Regulation) act, 1957 से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई। 10. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक–19010/तीन–6–3/2010/चेकर, बिलासपुर दिनांक– 23 नवम्बर 2024 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक–4181/3935/21–बी/सी.जी. /2024 , नवा रायपुर दिनांक–22 नवम्बर 2024 के आदेशानुसार सिविल जिला सरगुजा (अम्बिकापुर), जशपुर, सूरजपुर, कोरिया (बैकुण्ठपुर) के साथ राजस्व जिला–मनेन्द्रगढ़––भरतपुर–चिरमिरी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई। 11. छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक–01/4556/21–बी/सी.जी./2024, नवा रायपुर दिनांक–01 जनवरी 2025 के आदेशानुसार सिविल जिला सरगुजा (अम्बिकापुर) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले नागरिक विमानन की सुरक्षा के विरूद्व गैरकानूनी कृत्यों के दमन से संबंधित अपराधों की सुनवाई। 12. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक–22752/चेकर/तीन–6–3/2025 बिलासपुर दिनांक–01 दिसम्बर 2025 के साथ संलग्न छ0ग0 शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक–3835/3150/21–बी/2025, रायपुर दिनांक–28.11.2025 के अनुसार अनियमित जमा योजना पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 (संख्या 21 ऑफ 2019) से संबंधित अपराधों की सुनवाई। 13. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर/लखनपुर/उदयपुर/दरिमा/धौरपुर एवं सीतापुर के आदेश से उत्पन्न आपराधिक पुनरीक्षण। 14. मुख्य वन संरक्षक सरगुजा के आदेश से उत्पन्न आपराधिक पुनरीक्षण।
		<u>तहसील</u> **अम्बिकापुर, दरिमा लुण्ड्रा (धौरपुर), लखनपुर, उदयपुर सीतापुर, मैनपाट, बतौली।**	1. स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत सिविल एवं विविध अपीलें व निर्वाचन याचिकायें। 2.(अ) रू. 50,00,001 (रूपये पचास लाख एक) से अधिक मूल्य के साम्पत्तिक वाद एवं अन्य वाद तथा उनसे उद्भूत निष्पादन एवं अन्य आवेदन (ब) लघुवाद न्यायालय अधिनियम के अन्तर्गत 500/–रू0 से अधिक एवं 1000/– रू0 तक मूल्य के लघुवाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक–8068/तीन–6–5/2018 (Relief Act) बिलासपुर, दिनांक–03.08.2019 के साथ अनुलग्न छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक–7782/2124/21–बी/सी.जी./19, रायपुर, दिनांक–02.08.2019 के आदेशानुसार Special

			court to try Suit under the Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963) and Specific Relief (Amendment) Act, 2018 in respect of Contracts relating to infrastructure projects से संबंधित वाद की सुनवाई। 4. राजस्व जिला सरगुजा के समस्त क्षेत्राधिकार से उत्पन्न छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधि. 1961 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले चुनाव याचिकाएं। 5. नगर पालिक निगम के अंतर्गत आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सिविल अपीलें। 6. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 7. मानवाधिकारों के उल्लंघन से उद्भूत होने वाले प्रकरण। 8. सिविल जिला–सरगुजा के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर के द्वारा सिविल प्रकरणों में घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध सिविल अपीलें। 9. सिविल जिला–सरगुजा के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी द्वारा सिविल प्रकरणों में घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध सिविल अपीलें। 10. भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा किये गये रिफरेन्स। 11. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 12. धारा 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विचारणीय ऐसे वाद, याचिका तथा आवेदन पत्र जो इस आदेश में किसी अन्य न्यायालय को आबंटित नहीं है। 13. अन्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय विवाद जो इस आदेश में अन्य न्यायालय को आबंटित नहीं किये गये हैं। 14. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रेषित एवं अंतरित प्रकरण। 15. उत्तराधिकार से संबंधित अपीलें। 16. धारा–34 माध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 से संबंधित आवेदन/कार्यवाहियॉ। 17. थाना अम्बिकापुर, गांधीनगर, मणिपुर दरिमा, लुण्ड्रा, धौरपुर, लखनपुर, उदयपुर, सीतापुर, बतौली एवं कमलेश्वरपुर के थाना क्षेत्रों से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा आवेदन। 18. जिला सरगुजा के क्षेत्र से बाहर घटित मोटर दुर्घटना से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा जिसमें आवेदक जिला– सरगुजा के क्षेत्र में निवास करते हो ऐसे मोटर दुर्घटना दावा का निराकरण। 19. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक–17027/तीन–4–1/2016 (Commercial Court)/Checker बिलासपुर, दिनांक–21 दिसम्बर 2023 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय

			रायपुर के अधिसूचना कमांक–14389/3830/21–बी/सी0जी0/23, रायपुर, दिनांक–20.12.2023 के आदेशानुसार सरगुजा (अम्बिकापुर), बलरामपुर–रामानुजगंज, सूरजपुर, रायगढ़, जशपुर, एवं कोरिया (बैकुण्ठपुर)के सिविल जिले के अंतर्गत कार्यरत वाणिज्यिक न्यायालय के द्वारा पारित आदेश/निर्णय से संबंधित अपीलों की सुनवाई।
02	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट, अम्बिकापुर। **(श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव)**	**सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला सरगुजा**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण। 2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, के अन्तर्गत प्रस्तुत विशेष आपराधिक प्रकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक–126/गोप./2015/दो–2–1/ 2015, दिनांक 19.02.2015 के द्वारा अधिकृत । 3. एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष आपराधिक प्रकरण। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के पृष्ठांकन कमांक 6466/तीन–6–1/2001 (Pt.-III)/चेकर/(एन.डी.पी.एस.) बिलासपुर, दिनांक 04 अप्रैल 2025 के साथ संलग्न छ0ग0 शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नवा रायपुर का अधिसूचना कमांक–1546/1054/XXI-B/ C.G./2023 नवा रायपुर, दिनांक–04.04.2025 के द्वारा अधिकृत। 4. मुख्यालय में प्रस्तुत होने वाले अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 5. अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रेषित प्रकरण एवं अन्य अनुसंगिक कार्यवाहियॉ तथा विविध आदेशों का क्रियान्वयन। 6. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एव जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अम्बिकापुर के न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का कियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियॉ। 7. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एव जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अम्बिकापुर के न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित आदेशों का कियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियॉ।
03	प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय, अम्बिकापुर एवं सदस्य प्रथम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर। **(श्रीमती ममता पटेल)**	**सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला सरगुजा (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हेतु सम्पूर्ण सिविल जिला–सरगुजा छत्तीसगढ़**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण। 2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण। विधि विभाग रायपुर की अधिसूचना क्रमांक–7514/2702/21–ब/छ0ग0 /12, रायपुर दिनांक 18.09.2012 के द्वारा अधिकृत। 3. सम्पूर्ण सत्र खण्ड जिला–सरगुजा के अंतर्गत आने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 4. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर

			प्रेषित प्रकरण एवं अन्य अनुसांगिक कार्यवाहियॉ तथा विविध आदेशों का क्रियान्वयन। 5. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के परिपत्र क्रमांक–9687 दिनांक–02.08.2023 के अनुपालन में सांसदों एवं विधायकों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई/विचारण यदि उक्त प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उक्त प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण। 6. रू0 45,00,001/– (रूपये पैतालिस लाख एक) से रूपयें 50,00,000/– (रूपये पचास लाख) तक के वाद मूल्य के साम्पत्तिक वाद एवं अन्य वाद तथा उनसे उद्भूत निष्पादन एवं अन्य आवेदन। 7. (अ) प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन, विविध प्रकरण, उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियां जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। (ब) प्रथम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ. टी.सी.) अम्बिकापुर के न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित चेक के जमा, आहरण एवं भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर प्रथम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। 8. प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न प्रकरणों तथा निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरणों का निराकरण एवं उक्त न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय का क्रियान्वयन एवं अन्य आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियां जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। 9. प्रथम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर से संबंधित चेक के जमा, आहरण एवं भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर प्रथम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर के द्वारा किया जाता। 10. दत्तक ग्रहण अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई एवं निराकरण। 11. धारा–36 माध्यस्थता एवं सुलह अधिनिमय, 1966 से संबंधित निष्पादन आवेदन कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही।
04	जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) एवं सदस्य अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफटीसी), अम्बिकापुर। **(कु0 चित्रलेखा सोनवानी)**	–	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण। 2. राजस्व जिला सरगुजा के सभी थाना क्षेत्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित मामले। 3. मुख्यालय में प्रस्तुत होने वाले Rape Cases से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 4. महिलाओं के विरूद्व होने वाले अपराधो से संबंधित प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रेषित प्रकरण अथवा उक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय को

			कियान्वयन तथा विविध आदेश एवं Rape Cases से संबंधित अन्य कार्यवाहियों का कियान्वयन। 5. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अम्बिकापुर के न्यायालय द्वारा दांडिक प्रकरणों एवं विविध दांडिक प्रकरणों में पारित आदेशों/निर्णय से उद्भूत कार्यवाहियों का कियान्वयन एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पारित आदेश एवं अन्य आवेदनों की कार्यवाहियॉ जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अम्बिकापुर के द्वारा किया जाता है।
05	द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य द्वितीय अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर तथा विशेष न्यायाधीश, (विद्युत अधिनियम 2003) अम्बिकापुर। **(श्री मुकेश कुमार तिवारी)**	**सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला सरगुजा**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण। 2. विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के पृष्ठांकन कमांक–1882/चेकर/तीन–6–1/2005 (विद्युत अधिनियम) के साथ संलग्न विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर के अधिसूचना फा. क्र. /544/21–ब/छ.ग./2020, रायपुर, दिनांक–06.02.2020 के द्वारा अधिकृत। 3. सम्पूर्ण सत्र खण्ड जिला–सरगुजा के अंतर्गत आने वाले विद्युत अधिनियम से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 4. विद्युत अधिनियम 2003 से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रेषित प्रकरण एवं अन्य अनुसांगिक कार्यवाहियॉ तथा विविध आदेश का क्रियान्वयन। 5. रू0 20,00,001/– (रूपये बीस लाख एक) से रूपयें 30,00,000/– (रूपये तीस लाख) तक के वाद मूल्य के साम्पत्तिक वाद एवं अन्य वाद तथा उनसे उद्भूत निष्पादन एवं अन्य आवेदन। 6.(अ) द्वितीय/तृतीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन, विविध प्रकरण, उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियां जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर द्वितीय/तृतीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। (ब) द्वितीय/तृतीय अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर के न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित चेक के जमा, आहरण एवं भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर द्वितीय/तृतीय अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। 7. द्वितीय/तृतीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न प्रकरणों तथा निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरणों का निराकरण एवं उक्त न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय का क्रियान्वयन एवं अन्य आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियां जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर द्वितीय/तृतीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। 8. द्वितीय/तृतीय अति0 मोटर दुर्घटना दावा

			अधिकरण, अम्बिकापुर से संबंधित चेक के जमा, आहरण एवं भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर द्वितीय/तृतीय अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर के द्वारा किया जाता। 9. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक–17027/तीन–4–1/2016 (Commercial Court)/Checker बिलासपुर, दिनांक–21 दिसम्बर 2023 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक–14391/3830/21–बी/ सी0जी0/23, रायपुर, दिनांक–20.12.2023 एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक–8944/तीन–4–1/2016/चेकर बिलासपुर दिनांक–09.05.2025 के साथ संलग्न छ0ग0 शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक– 2031/904/21–बी/ सी0जी0/25 रायपुर दिनांक–08.05.2025 के आदेशानुसार सरगुजा (अम्बिकापुर), बलरामपुर–रामानुजगंज, सूरजपुर एवं कोरिया (बैकुण्ठपुर) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न वाणिज्यिक मामलों **(जिसका आर्थिक मूल्य दस लाख से अधिक से पचास लाख तक (मध्यस्थता मामलों को सम्मिलित करते हुए)** की सुनवाई। 10. प्रतिलिप्याकार अधिनियम (Copyright Act 1957) एवं पेटेंट अधिनियम 1970 एवं व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 से सबंधित सिविल प्रकरणों की सुनवाई।
06	तृतीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य तृतीय अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर।	**सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला सरगुजा**	**"रिक्त न्यायालय"**
07	चतुर्थ जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य चतुर्थ अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर। **(श्री मनीष कुमार दुबे)**	**सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला सरगुजा**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण। 2. रू0 30,00,001/– (रूपये तीस लाख एक) से रूपयें 35,00,000/– (रूपये पैतीस लाख) तक के वाद मूल्य के साम्पत्तिक वाद एवं अन्य वाद तथा उनसे उद्भूत निष्पादन एवं अन्य आवेदन। 3. (अ) चतुर्थ जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन, विविध प्रकरण, उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियां जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर चतुर्थ जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। (ब) चतुर्थ अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर के न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित चेक के जमा, आहरण एवं भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर चतुर्थ अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। 4. चतुर्थ जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न प्रकरणों तथा निष्पादन प्रकरण एवं विविध

			प्रकरणों का निराकरण एवं उक्त न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय का क्रियान्वयन एवं अन्य आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियां जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर चतुर्थ जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। 5. चतुर्थ अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर से संबंधित चेक के जमा, आहरण एवं भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर चतुर्थ अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर के द्वारा किया जाता।
08	पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य पंचम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर। **(सुश्री स्मिता रत्नावत)**	**सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला सरगुजा**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण। 2. रू0 35,00,001/– (रूपये पैतीस लाख एक) से रूपयें 40,00,000/– (रूपये चालीस लाख) तक के वाद मूल्य के साम्पत्तिक वाद एवं अन्य वाद तथा उनसे उद्भूत निष्पादन एवं अन्य आवेदन। 3. (अ) पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन, विविध प्रकरण, उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियां जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। (ब) पंचम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ. टी.सी.) अम्बिकापुर के न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित चेक के जमा, आहरण एवं भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर पंचम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। 4. पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न प्रकरणों तथा निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरणों का निराकरण एवं उक्त न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय का क्रियान्वयन एवं अन्य आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियां जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। 5. पंचम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर से संबंधित चेक के जमा, आहरण एवं भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर पंचम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर के द्वारा किया जाता। 6. जिला न्यायाधीश (एफटीसी) अम्बिकापुर/अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफटीसी) अम्बिकापुर के द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न प्रकरणों तथा निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरणों का निराकरण एवं उक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय का कियान्वयन एवं अन्य आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियॉ जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर जिला न्यायाधीश (एफटीसी) अम्बिकापुर/अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

			(एफटीसी) अम्बिकापुर द्वारा किया जाता है। 7. इसके अतिरिक्त अन्य जो भी निष्पादन आवेदन/ मामले, जो किसी अन्य बीमा कंपनी से संबंधित हो, जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन आदेश में न हो से संबंधित निष्पादन आवेदन/ प्रकरण की सुनवाई एवं निराकरण।
09	षष्ठम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य षष्ठम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर। **(श्री जनक कुमार हिडको)**	**सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला सरगुजा**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण। 2. रू0 40,00,001/– (रूपयें चालीस लाख एक) से रूपयें 45,00,000/– (रूपये पैतालीस लाख) तक के वाद मूल्य के साम्पत्तिक वाद एवं अन्य वाद तथा उनसे उद्भूत निष्पादन एवं अन्य आवेदन। 3. (अ) षष्ठम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन, विविध प्रकरण, उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियां जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर षष्ठम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। (ब) षष्ठम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर के न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित चेक के जमा, आहरण एवं भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर षष्ठम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। 4. षष्ठम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न प्रकरणों तथा निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरणों का निराकरण एवं उक्त न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय का क्रियान्वयन एवं अन्य आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियां जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर षष्ठम अति0 जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। 5. षष्ठम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर से संबंधित चेक के जमा, आहरण एवं भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर षष्ठम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर के द्वारा किया जाता।
10	सप्तम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य सप्तम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर। **(श्री महेश कुमार राज)**	**सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला सरगुजा**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण। 2. रू0 10,00,001/– (रूपये दस लाख एक) से रूपयें 20,00,000/– (रूपये बीस लाख) तक के वाद मूल्य के साम्पत्तिक वाद एवं अन्य वाद तथा उनसे उद्भूत निष्पादन एवं अन्य आवेदन। 3. (अ) सप्तम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन, विविध प्रकरण, उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियां जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर

			सप्तम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। (ब) सप्तम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ. टी.सी.) अम्बिकापुर के न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित चेक के जमा, आहरण एवं भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर सप्तम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। 4. सप्तम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न प्रकरणों तथा निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरणों का निराकरण एवं उक्त न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय का क्रियान्वयन एवं अन्य आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियां जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर सप्तम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर द्वारा किया जाता। 5. सप्तम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर से संबंधित चेक के जमा, आहरण एवं भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर सप्तम अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर के द्वारा किया जाता।
11	जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट), अम्बिकापुर। **(श्री कमलेश जगदल्ला)**	**सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला सरगुजा**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण। 2. राजस्व जिला सरगुजा, के सभी थाना क्षेत्रों से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित मामले। 3. ऐसे प्रकरण जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संलग्न लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित मामले। 4. किशोर न्याय एवं बालको की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम से संबंधित आपराधिक अपील। 5. किशोर न्याय एवं बालको की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम से संबंधित आपराधिक पुनरीक्षण। 6. बालक न्यायालय (Children Court) से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण। 7. मुख्यालय में प्रस्तुत होने वाले बच्चों के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 8. सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय, (पाक्सो एक्ट) अम्बिकापुर के द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न प्रकरणों तथा निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरणों का निराकरण तथा उक्त न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय का क्रियान्वयन एवं अन्य आवेदन तथा अन्य कार्यवाहियां ।
12	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(श्री पल्लव रघुवंशी)**	**<u>सम्पूर्ण सिविल जिला–सरगुजा</u>**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। 2. सिविल जिला–सरगुजा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रू0 200/– से अधिक वं 500/– तक

			मूल्य के लघुवाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन वं विविध प्रकरण। 3. स्थाई लोक अदालत (जनपयोगी सेवाएँ), अम्बिकापुर से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण। 4. छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 142 के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 5. सिविल जिला–सरगुजा के (तहसील–सीतापुर, बतौली एवं मैनपाठ के श्रेत्राधिकार को छोड़कर) क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1872 की धारा 372 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 6. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर, एवं अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय के द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एव उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन। 7. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर, एवं अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियॉ। 8. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, सीतापुर के श्रृंखला न्यायालय अम्बिकापुर एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर के श्रृंखला न्यायालय सीतापुर के बंद हो जाने के कारण उनके न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकार के सिविल कार्य प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के द्वारा किये जावेंगे। 9. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीतापुर के श्रृंखला न्यायालय अम्बिकापुर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर के श्रृंखला न्यायालय सीतापुर के बंद हो जाने के कारण उनके न्यायालय द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकार के कार्यवाहियॉ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बिकापुर (प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर) के द्वारा किये जावेंगे। 10. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक 8068/तीन–6–5/2018 (Relief Act) बिलासपुर, दिनांक 03.08.2019 के साथ अनुलग्न छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक–7782/2124/21–बी/सी. जी./19, रायपुर, दिनांक–02.08.2019 के आदेशानुसार Special court to try Suit under the Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963) and Specific Relief (Amendment) Act, 2018 in respect of Contracts relating to infrastructure projects से संबंधित वाद की सुनवाई। 11. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के परिपत्र कमांक–9687 दिनांक–02.08.2023 के अनुपालन में सांसदों एवं विधायकों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई/विचारण यदि उक्त प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचाराणीय नही है तो उक्त प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण।

			12. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक–17027/तीन–4–1/2016 (Commercial Court)/Checker बिलासपुर, दिनांक–21 दिसम्बर 2023 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक–14391/3830/21–बी/सी0जी0/23, रायपुर, दिनांक–20.12.2023 के आदेशानुसार सरगुजा (अम्बिकापुर), बलरामपुर–रामानुजगंज, सूरजपुर एवं कोरिया (बैकुण्ठपुर) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न वाणिज्यिक मामलों (जिसका आर्थिक मूल्य तीन लाख से दस लाख तक (मध्यस्थता मामलों को छोड़कर) की सुनवाई।
13	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(श्रीमती बरखा रानी वर्मा)**	**तहसील अम्बिकापुर**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण 2. सिविल जिला– सरगुजा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रू0 5,00,001 (रूपयें पॉच लाख एक) से अधिक एवं 10,00,000/– (रूपये दस लाख) तक के मूल्य का सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन, एवं विविध प्रकरण। 3. तहसील सीतापुर, बतौली एवं मैनपाठ के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1872 की धारा 372 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 4. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय के द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एव उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन। 5. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियॉ।
14	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(श्री गिरिवर सिंह राजपूत)**	**तहसील–दरिमा, लुण्ड्रा (धौरपुर) लखनपुर, उदयपुर, सीतापुर, मैनपाठ एवं बतौली**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण 2. सिविल जिला– सरगुजा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रू0 5,00,001 (रूपयें पॉच लाख एक) से अधिक एवं 10,00,000/– (रूपये दस लाख) तक के मूल्य का सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन, एवं विविध प्रकरण। 3. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय के द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एव उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन। 4. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियॉ।
15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	**सम्पूर्ण सिविल जिला –सरगुजा**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर

	(श्रीमती कल्पना भगत)		के न्यायालय के अतिरक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर के न्यायालय के द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एव उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन। 3. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियॉ।
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर **(कु0 प्रांजली नेताम)**	**सम्पूर्ण सिविल जिला–सरगुजा (वाहय न्यायालय सीतापुर के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। 2. रू0 3,00,001/– से 5,00,000/– तक मूल्य के व्यवहार वाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. प्रथम/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरिक्त/प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर के न्यायालय के द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादी के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन। 4. प्रथम/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरिक्त/प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन।
17	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(श्री अरिन्दम नेरल)**	**सम्पूर्ण सिविल जिला–सरगुजा (वाहय न्यायालय सीतापुर के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। 2. रू0 3,00,000/– तक मूल्य के व्यवहार वाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. द्वितीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर के न्यायालय के **द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश,** अम्बिकापुर के न्यायालय के द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादी के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन। 4. द्वितीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर के न्यायालय के **द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश,** अम्बिकापुर के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन।
18	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर।	–	**"रिक्त न्यायालय"**
19	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर।	–	**1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण।**

	(कु0 पारूल साय)		
20	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(श्री संतोष कुमार यादव)**	–	**1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण।**
21	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(श्री उत्सव सिंह तिवारी)**		1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण।
22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(श्री नीरज फेलिक्स कुजूर)**		1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण।
23	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, सीतापुर।	–	**"रिक्त न्यायालय"**
24	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, सीतापुर। **(कु0 पूजा मण्डावी)**	**तहसील सीतापुर, बतौली एवं मैनपाट**	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। 2. रू0 5,00,000/– तक मूल्य के व्यवहार वाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. रू0 200/– तक मूल्य के लघुवाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 4. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, सीतापुर के न्यायालय के द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एव उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादी के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन। 5. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, सीतापुर के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन।

नोटः–**(सिविल एवं आपराधिक)**

1– जिस प्रधान सत्र न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश ने पूर्ववर्ती जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई की है वही पश्चातवर्ती जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई करेंगे। यदि पूर्व जमानत आवेदन पत्र का सुनवाई करने वाले न्यायाधीश लम्बी अवधि तक अवकाश पर है तो ऐसी स्थिति में ऐसे जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई वह न्यायाधीश करेगा, जो लम्बी अवधि पर गये न्यायाधीश के न्यायालय के आवश्यक कार्य को उनकी अनुपस्थिति में सम्पादित करता हो, किन्तु प्रकरण के उपार्पण हो जाने के बाद की सुनवाई के लिए सौंपे गये सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई करेगें।

2– ऐसे किसी आवेदक/आरोपी के संबंध में अग्रिम/नियमित जमानत आवेदन पत्र जो पूर्व मे किसी अतिरिक्त सत्र/विशेष न्यायाधीश द्वारा निराकृत किये जा चुके है, ऐसे आवेदक/आरोपी के संबंध में पेश होने वाले द्वितीय एवं अन्य पश्चातवर्ती अग्रिम/नियमित जमानत आवेदन पत्र एवं उक्त प्रकरण के सह आरोपी/आवेदक से संबंधित अग्रिम/नियमित जमानत आवेदन पत्र सत्र न्यायाधीश के अनुपस्थिति/अवकाश एवं दौरे पर होने की दशा में सत्र न्यायालय के प्रस्तुतकार द्वारा उक्त जमानत आवेदन पत्र सीधे उक्त न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु रखा जावेगा, जिस अतिरिक्त सत्र/विशेष न्यायाधीश के द्वारा पूर्व में अग्रिम/नियमित जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया गया होगा।

3– प्रधान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सरगुजा/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ0टी0सी0), सरगुजा/प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम एवं सप्तम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,

सरगुजा, को इस आदेश में आबंटित क्षेत्रों मे घटित मोटर यान दुर्घटना से उद्भुत मोटर यान दुर्घटना दावा प्रकरण का निराकरण करेगें एवं यदि दुर्घटना सरगुजा सिविल जिला से भिन्न स्थान मे घटित हुआ हो तो ऐसे दावा प्रकरणों के आवेदक/अनावेदक यदि उपरोक्त न्यायालयों को आबंटित थाना क्षेत्रों में निवास करते हो तो उनकी ओर से प्रस्तुत दावा का भी निराकरण उसी न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

4— कुटुम्ब न्यायालय अम्बिकापुर (सरगुजा) के पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति में/न्यायालय रिक्त होने पर, (रजिस्ट्री के परिपत्र क्रमांक 4426/R.G./08, बिलासपुर दिनांक 29.05.2008 के अनुसार) अर्जेंट सुनवाई के आवेदन पत्र (अति–आवश्यक आवेदन पत्र) की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) के द्वारा किया जायेगा।

5— इस कार्य विभाजन आदेश की सुनवाई के क्षेत्राधिकार के संबंध में किसी भी प्रकार का शंका होने पर प्रकरण आदेश हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

6— इस कार्य विभाजन आदेश के किसी भी न्यायालय के रिक्त होने अथवा स्थानान्तरण की दशा में उक्त न्यायालय से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉ एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों के क्रियान्वयन का निराकरण उक्त न्यायालय के अनुपस्थित अवधि में अधिकृत न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

7— ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश अवधि में अत्यावश्यक सिविल प्रकरणों की सुनवाई लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा एवं उक्त लिंक न्यायिक अधिकारी के अनुपस्थिति में मुख्यायल मे उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादन किया जावेगा।

8— माननीय रजिस्ट्री के पृष्ठांकन क्रमांक 8229/तीन–6–3/2015, बिलासपुर, दिनांक 05.10.2016 के साथ संलग्न भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 01 सितम्बर 2016 के अनुसार **कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार दो वर्ष से अधिक सजा वाले ऐसे प्रकरणों की सुनवाई** का क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण राज्य हेतु **सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर** को अधिसूचित किया गया है। ऐसे प्रकरणों के सुनवाई हेतु सीधे सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को प्रेषित किया जायेगें।

9— माननीय रजिस्ट्री के पृष्ठांकन क्रमांक 5198/तीन–4–1/2016, बिलासपुर दिनांक 28.06.2016 के साथ संलग्न छ0ग0 शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 5853/1665/21–बी/सी0जी0/2016, नया रायपुर, दिनांक 15.06.2016 के आदेशानुसार **जिला स्तरीय वाणिज्यिक न्यायालय** की स्थापना नया रायपुर में किये जाने के फलस्वरूप **एक करोड से अधिक के मूल्य वाले साम्पतिक वाद** सीधे वाणिज्यिक न्यायालय, नया रायपुर को प्रेषित किये जायेगें।

10— माननीय रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक 9590/तीन–6–4/2005 (Money Laundering Act)/Checker बिलासपुर, दिनांक–24.05.2025 के साथ संलग्न भारत का असाधारण राजपत्र दिनांक– 23 मई 2025 अनुसार, **धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा–4 के अधीन दंडनीय अपराध के विचारण हेतु भारत का राजपत्र में उल्लेखित समस्त छत्तीसगढ राज्य हेतु न्यायालय चतुर्थ अति0 सत्र न्यायाधीश, रायपुर छत्तीसगढ को अधिसूचित किये जाने** के फलस्वरूप, उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरण **सीधे न्यायालय चतुर्थ, अति0 सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ** को प्रेषित किये जायेगें।

11— अम्बिकापुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सरगुजा जिले के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (वाह्य न्यायालय सीतापुर के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994के अपराध के मामलों का विचारण किया जावेगा।

12— सीतापुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 354, 509 भा0दं0सं0 तथा Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994 से संबंधित सीतापुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न हुए अपराधों के मामलों का विचारण किया जावेगा।

13— जिला स्थापना सरगुजा (अम्बिकापुर) में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर (कु0 प्रांजली नेताम) द्वारा सरगुजा जिले के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (वाह्य न्यायालय सीतापुर के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) धारा– 354, 509 भा0दं0सं0 के तहत अपराध के मामलों का विचारण किया जावेगा।

14– माननीय रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक 13654/Checker/दो–15–12/2017 (Benami Transactions) बिलासपुर, दिनांक 21 जुलाई 2025 के साथ संलग्न भारत का राजपत्र असाधारण दिनांक 17 जुलाई 2025 वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) नई दिल्ली की अधिसूचना अनुसार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय अपराधों के विचारण के लिये सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु **द्वादश अति0 सत्र न्यायाधीश, रायपुर** को अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरण सीधे **द्वादश अति0 सत्र न्यायाधीश, रायपुर** को प्रेषित किया जायेगें।

15– माननीय रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक 2386/तीन–6–3/2015/Checker, बिलासपुर, दिनांक 25.02.2019 के साथ संलग्न भारत का असाधारण राजपत्र दिनांक 04 दिसम्बर 2018 अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (SEBI Act), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (SCRA) एवं निक्षेपागार अधिनियम 1996 के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए सारणी में वर्णित छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र हेतु **सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय को अधिसूचित किये जाने** के फलस्वरूप उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरण सीधे **सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर** को प्रेषित किये जायेगें।

16– माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक–10843 बिलासपुर दिनांक–05 सितम्बर 2022 के एवं भारत सरकार वित मंत्रालय राजस्व विभाग कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, केन्द्रीय राजस्व भवन, सिविल लाईन रायपुर के पत्र क्रमांक–F. No. CCIT/RPR/Tech./Misc/u/s/280A/2021-22/866 दिनांक– 24.08.2022 एवं भारत सरकार वित मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय प्रत्यक कर, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक–F. No. 285/13/2022-IT (Inv. V)/164 नई दिल्ली दिनांक–23.08.2022 के **आदेशानुसार जिला–सरगुजा (अम्बिकापुर) के समस्त क्षेत्राधिकार हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बिकापुर** को u/s 280A of the Income Tax Act, 1961 and Section 84 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income & Asset) and imposition of Tax Act, 2018 हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

17– माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश कमांक–11054/तीन–6–3/2023 (Virtual Courts) बिलासपुर, दिनांक–24 जून 2025 के आदेशानुसार **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरगुजा (अम्बिकापुर) को** सरगुजा (अम्बिकापुर), बलरामपुर–रामानुजगंज, जशपुर, कोरिया (बैकुण्ठपुर) सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत **Virtual Courts for Transport** से सबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत किया गया है।

18– माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन कमांक–14754/2023, दिनांक–08.11.2023 तथा शुद्धिपत्र कमांक–15250/2023 बिलासपुर, दिनांक–23.11.2023 में दिये गये निर्देशानुसार मुख्यालय अम्बिकापुर स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, विशेष न्यायालय (एट्रो.)/एन.डी. पी.एस. एक्ट अम्बिकापुर के लिए **प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर,** प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अम्बिकापुर, के लिए **जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) अम्बिकापुर,** द्वितीय एवं चतुर्थ जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के लिए **पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर,** पंचम/षष्ठम/सप्तम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के लिए **द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर** एवं जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), अम्बिकापुर के लिए **जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) अम्बिकापुर** एवं जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) अम्बिकापुर के लिए **जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अम्बिकापुर** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के लिए **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के लिए **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर,** तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के लिए **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर के लिए **तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश

कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के लिए **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के लिए **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर,** चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर के लिए **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर** तथा पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर के लिए **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर** को लिंक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

इस जिला स्थापना अम्बिकापुर के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के अवकाश दिवस में उपरोक्त नियुक्त लिंक न्यायिक अधिकारी के द्वारा अवकाश में गये या अनुपस्थित न्यायाधीश/ मजिस्ट्रेट के न्यायालय के न सिर्फ अत्यावश्यक मामलो की सुनवाई करेगें बल्कि यदि संभव हो तो ऐसे प्रकरणों, जिसमें साक्षी अपने साक्ष्य दर्ज कराने हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए हो उक्त साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किया जायेगा। यदि साक्षी का साक्ष्य दर्ज कर पाना संभव न हो तो ऐसी स्थिति में लिंक न्यायिक अधिकारी उक्त प्रकरण में उपस्थित साक्षियों को संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश से लौटने के दिनांक से आगामी 03 दिवस के भीतर की तारीख वे पुनः उपस्थित होने के लिए पाबंद करेगें (शासकीय गवाह को छोड़कर) या लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा अवकाश मे गये पीठासीन अधिकारी के न्यायालय के ज्यूडिशियल डायरी को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में आगामी तिथि देना सुनिश्चित किया जायेगा तथा न्यायालय के प्रस्तुतकार के द्वारा आगामी तिथि नही दी जावेगी। जो प्रकरण जिस कार्यवाही के लिए नियत है उसी कार्यवाही के लिए ही लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा आगामी तारीख के लिए नियत किया जायेगा। यह आदेश सिविल एवं दांडिक दोनों प्रकरणों के लिए लागू होगा।

19– मुख्यालय स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय/जिला एवं अति0 सत्र न्यायालयों के लिए नियुक्त लिंक न्यायिक अधिकारी के अवकाश/ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश अथवा अनुपस्थित की स्थिति में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठतम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के द्वारा लिंक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया जावेगा।

इसी प्रकार मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालयों/न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए नियुक्त लिंक न्यायिक अधिकारी के अवकाश अथवा अनुपस्थित की स्थिति में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश/न्यायिक मजिस्ट्रेट, के द्वारा लिंक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया जावेगा।

21/11/26

(के0 एल0 चरयाणी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सरगुजा (अम्बिकापुर) छ0ग0

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)छ.ग.

// विविध आदेश //

क्रमांक– **क–2** / एक–5–1 / 85, अम्बिकापुर, दिनांक 21 **जनवरी, 2026**

न्यायाधीशों के अवकाश व अनुपस्थिति की दशा में अत्यावश्यक **सिविल एवं आपराधिक मामलों के कार्य** निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित **लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा :–**

क्र.	न्यायाधीश का पदनाम	अवकाश अथवा अनुपस्थिति अवधि में अधिकृत लिंक न्यायिक अधिकारी
1	2	3
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर)। **(पीठासीन अधिकारी– के0 एल0 चरयाणी)**	**प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश,** अम्बिकापुर (पीठासीन अधिकारी–श्रीमती ममता पटेल)
2	विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) एवं एन0डी0पी0एस0 एक्ट) अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव)**	
3	प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी– श्रीमती ममता पटेल)**	**सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट)** अम्बिकापुर, (पीठासीन अधिकारी–श्री कमलेश जगदल्ला)
4	विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी– श्रीमती ममता पटेल)**	
5	द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, / विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश कुमार तिवारी)**	**पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश,** अम्बिकापुर (पीठासीन अधिकारी–सुश्री स्मिता रत्नावत)
6	चतुर्थ जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री मनीष कुमार दुबे)**	
7	पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–सुश्री स्मिता रत्नावत)**	**द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश,** अम्बिकापुर (पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश कुमार तिवारी)
8	षष्ठम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री जनक कुमार हिडको)**	
9	सप्तम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री महेश कुमार राज)**	
10	जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) अम्बिकापुर **(पीठासीन अधिकारी–सुश्री चित्रलेखा सोनवानी)**	**सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट)** अम्बिकापुर (पीठासीन अधिकारी–श्री कमलेश जगदल्ला)
11	सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो) अम्बिकापुर **(पीठासीन अधिकारी–श्री कमलेश जगदल्ला)**	**जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)** अम्बिकापुर (पीठासीन अधिकारी–सुश्री चित्रलेखा सोनवानी)

12	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री पल्लव रघुवंशी)**	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्रीमती बरखा रानी वर्मा)**
13	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्रीमती बरखा रानी वर्मा)**	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री पल्लव रघुवंशी)**
14	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री गिरिवर सिंह राजपूत)**	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्रीमती कल्पना भगत)**
15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्रीमती कल्पना भगत)**	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री गिरिवर सिंह राजपूत)**
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–कु0 प्रांजली नेताम)**	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री अरिन्दम नेरल)**
17	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री अरिन्दम नेरल)**	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–कु0 प्रांजली नेताम)**
18	प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, अम्बिकापुर।	प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, अम्बिकापुर एवं उक्त बोर्ड में नियुक्त सदस्यगण के अनुपस्थिति में अत्यावश्यक कार्य का निष्पादन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बिकापुर द्वारा किया जावेगा।
19	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, सीतापुर **(पीठासीन अधिकारी–कु0 पूजा मण्डावी)**	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी श्रेणी अम्बिकापुर एवं उक्त दोनों की अनुपस्थिति में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर ।
20	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–कु0 पारूल साय)**	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–कु0 प्रांजली नेताम)**
21	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज फेलिक्स कुजूर)**	
22	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री संतोष कुमार यादव)**	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री अरिन्दम नेरल)**
23	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बिकापुर। **(पीठासीन अधिकारी–श्री उत्सव सिंह तिवारी)**	

नोट :–01– माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक–17027/तीन–4–1/2016 (Commercial Court)/Checker बिलासपुर, दिनांक– 21 दिसम्बर 2023 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक– 14389/3830/21–बी/सी0जी0/23, रायपुर, दिनांक– 20.12.2023 के आदेशानुसार **सरगुजा (अम्बिकापुर), बलरामपुर–रामानुजगंज, सूरजपुर, रायगढ़, जशपुर, एवं कोरिया (बैकुण्ठपुर) के सिविल जिले के अंतर्गत कार्यरत वाणिज्यिक न्यायालय के द्वारा पारित आदेश/निर्णय से संबंधित अपीलों की सुनवाई हेतु**

अधिसूचित वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति अथवा रिक्त रहने की दशा में जिला मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के द्वारा उपरोक्त अधिसूचित न्यायालय के अत्यावश्यक आवेदन एवं प्रकरणो की सुनवाई करेगा।

02– माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक–17027/तीन–4–1/2016(Commercial Court)/Checker बिलासपुर, दिनांक– 21 दिसम्बर 2023 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक–14391/3830/21–बी/सी0जी0/23, रायपुर, दिनांक–20.12.2023 एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक–8944/तीन–4–1/2016/चेकर बिलासपुर, दिनांक–09.05.2025 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक–2031/ 904/21–बी/ सी0जी0/25, रायपुर, दिनांक– 08.05.2025 के आदेशानुसार सरगुजा (अम्बिकापुर), बलरामपुर–रामानुजगंज एवं सूरजपुर एवं कोरिया (बैकुण्ठपुर) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न वाणिज्यिक मामलों **(जिसका आर्थिक मूल्य दस लाख से अधिक से पचास लाख तक (मध्यस्थता मामलों को सम्मिलित करते हुए)** हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति अथवा रिक्त रहने की दशा में जिला मुख्यालय में उपस्थित सबसे वरिष्ठ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के द्वारा उपरोक्त अधिसूचित न्यायालय के अत्यावश्यक आवेदन एवं प्रकरणो की सुनवाई करेगा।

03– मध्यस्थता से संबंधित मामलो की सुनवाई अधिसूचित वाणिज्यिक न्यायालय के अतिरिक्त कार्य विभाजन आदेशानुसार अन्य न्यायालय द्वारा भी किया जावेगा।

04– माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक–17027/तीन–4–1/2016 (Commercial Court) /Checker बिलासपुर, दिनांक– 21 दिसम्बर 2023 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक–14391/3830/21–बी/ सी0जी0/23, रायपुर, दिनांक–20.12.2023 के आदेशानुसार सरगुजा (अम्बिकापुर), बलरामपुर– रामानुजगंज, सूरजपुर एवं कोरिया (बैकुण्ठपुर) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न वाणिज्यिक मामलों **(जिसका आर्थिक मूल्य तीन लाख से दस लाख तक (मध्यस्थता मामलों को छोड़कर)** हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति अथवा रिक्त रहने की दशा में जिला मुख्यालय में उपस्थित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के द्वारा उपरोक्त अधिसूचित न्यायालय के अत्यावश्यक आवेदन एवं प्रकरणो की सुनवाई करेगा।

05–माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक–14754/2023, दिनांक–08.11.2023 तथा शुद्विपत्र क्रमांक–15250/2023 बिलासपुर, दिनांक–23.11.2023 में दिये गये निर्देशानुसार इस जिला स्थापना अम्बिकापुर के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के अवकाश दिवस में उपरोक्त नियुक्त लिंक न्यायिक अधिकारी के द्वारा अवकाश में गये या अनुपस्थित न्यायाधीश/ मजिस्ट्रेट के न्यायालय के न सिर्फ अत्यावश्यक मामलो की सुनवाई करेगें बल्कि यदि संभव हो तो ऐसे प्रकरणों, जिसमें साक्षी अपने साक्ष्य दर्ज कराने हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए हो उक्त साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किया जायेगा। यदि साक्षी का साक्ष्य दर्ज कर पाना संभव न हो तो ऐसी स्थिति में लिंक न्यायिक अधिकारी उक्त प्रकरण में उपस्थित साक्षियों को संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश से लौटने के दिनांक से आगामी 03 दिवस के भीतर की तारीख वे पुनः उपस्थित होने के लिए पाबंद करेगें (शासकीय गवाह को छोड़कर) या लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा अवकाश मे गये पीठासीन अधिकारी के न्यायालय के ज्यूडिशियल डायरी को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में आगामी तिथि देना सुनिश्चित किया जायेगा तथा न्यायालय के प्रस्तुतकार के द्वारा आगामी तिथि नही दी जावेगी। जो प्रकरण जिस कार्यवाही के लिए नियत है उसी कार्यवाही के लिए ही लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा आगामी तारीख के लिए नियत किया जायेगा। यह आदेश सिविल एवं दांडिक दोनों प्रकरणों के लिए लागू होगा।

06– मुख्यालय स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय/जिला एवं अति0 सत्र न्यायालयों के लिए नियुक्त लिंक न्यायिक अधिकारी के अवकाश अथवा अनुपस्थित की स्थिति में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठतम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के द्वारा लिंक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया जावेगा।

इसी प्रकार मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालयों/न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए नियुक्त लिंक न्यायिक अधिकारी के अवकाश अथवा अनुपस्थित की स्थिति में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश/न्यायिक मजिस्ट्रेट, के द्वारा लिंक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया जावेगा।

3/1/26

(के0 एल0 चरयाणी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सरगुजा (अम्बिकापुर) छ0ग0